15.04.2024 [illegible] के आवश्यक उप/अनु/जिला. अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 17.05.2024 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/5/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहते है,जो विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि के संबध में 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद–पत्र पेश किया गया था। प्रार्थी का वाद प्रतिवादी के जवाब स्तर पर विचाराधीन चल रहा था। प्रार्थी के वाद–पत्र की न्यायालय हाजा में दिनांक 14.12.2023 को सुनवाई तारीख नियत थी,निर्धारित सुनवाई तारीख को प्रार्थी अधिवक्ता के माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2023 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। लेकिन पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को वाद खारिज की जानकारी नहीं दी गई तथा प्रार्थी द्वारा वाद–पत्र के संबध में जा[illegible] जाने पर संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं [illegible] नियुक्त किया गया। प्रार्थी [illegible] जानकारी होने के तुरन्त अन्दर मयाद जरिए अधिवक्ता वाद [illegible] पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का	Contd.

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

22/2024

विवादित भूमि में हित निहित है। माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का वाद–पत्र पुनः बरामद किया जावें।

विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी का वाद पुनः बरामद किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण एवं मूल आवेदन–पत्र पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया की प्रार्थी/वादी का वाद दिनांक 14.12.2023 को सुनवाई हेतु नियत था। नियत पेशी तारीख प्रार्थी/वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। वक्त खारिज के समय प्रार्थी का वाद प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र बहस स्तर पर विचाराधीन था। प्रार्थी/वादी का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज हुआ था। न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न की तकनीकी आधार पर। प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने पर अनापति की गई है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें–वाद–पत्र पुनःबरामद किए जाने बाबत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.12.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी/वादी का वाद–पत्र संख्या 15/2016 अनवान मंगलसिंह बनाम लिखमाराम वगैरा को पुनः बरामद किया जाता है।

आदेश सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.12 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा